संख्या-37/2025/785/77-6-25-6099/323/2022पार्ट-11/1666726

प्रेषक,

आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
इन्वेस्ट यू0पी0।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6 **लखनऊ: दिनांक 30-04-2025**

विषयः उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के अंतर्गत इम्पावर्ड कमेटी की संस्तुति के आधार पर बृहद श्रेणी की 04 इकाईयों को एल.ओ.सी निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1685/आईयूपी/पीआईयू/2024-25 दिनांक 28.01.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के अंतर्गत बृहद श्रेणी इकाईयों को एल.ओ.सी निर्गत किये जाने जाने हेतु स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उपर्युक्त 04 औद्योगिक इकाईयों का संक्षिप्त विवरण निम्नवत है-

1 – सिल्वरटन पेपर्स लिमिटेड:

i. सिल्वरटन पेपर्स लिमिटेड द्वारा ₹134.96 करोड़ के प्रस्तावित निवेश के साथ उत्तर प्रदेश के **मुजफ्फरनगर (पश्चिमांचल)** जनपद में क्राफ्ट पेपर के विनिर्माण हेतु अपनी प्रस्तावित विस्तार सुविधा हेतु 'पूंजी सब्सिडी विकल्प' के संबंध में लेटर ऑफ कम्फर्ट की स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

ii. आवेदक इकाई द्वारा निवेश की आरंभिक तिथि 06/02/2022 सूचित की गई है एवं आवेदक द्वारा चरण-1 का वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक 28/02/2025 तक तथा चरण-2 का वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक 01/07/2026 तक आरंभ करना प्रस्तावित किया गया है। प्रथम चरण में निवेश पूर्ण होने के उपरांत आवेदक 'वृहद्' श्रेणी हेतु पात्र निवेश सीमा प्राप्त कर लेगा।

iii.निवेश की आरंभिक तिथि (05 फरवरी, 2022) पर सकल ब्लॉक ₹117.88 करोड़ है एवं प्रस्तावित विस्तार के माध्यम से 114.48% की वृद्धि होगी जो औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के प्रस्तर12.1.4 के अनुसार विस्तार परियोजना हेतु योग्य है।

iv.आवेदक इकाई के प्रस्तावित निवेश की गणना निम्नवत है-

मद	**राशि (₹ करोड़ में)**	**टिप्पणी**

प्रस्तावित निवेश	**134.96**	प्रारूप-2 के अनुसार
घटाया: आईआईईपीपी-22 के प्रस्तर 12.1.6 तथा 12.1.7 के अंतर्गत अस्वीकार्य मद	0.00	
कुल पूंजी निवेश*	**134.96**	
घटाया: समायोजित की जाने वाली अस्वीकार्य भूमि तथा भवन लागत (प्रस्तर 12.1.6 के अंतर्गत)	0.00	*विद्यमान भूमि एवं भवन*
पूंजी निवेश*	**134.96**	
घटाया: प्रभावी तिथि से पूर्व किया गया निवेश (12.1.10 के अंतर्गत)	15.47	*दिनांक 04.11.2022 से पूर्व निवेशित कुल राशि ₹15.47 करोड़ है। प्रभावी तिथि से पूर्व किया गया निवेश, पूंजी निवेश का ~11.46% है। क्योंकि, प्रभावी तिथि से पूर्व निवेशित राशि 20% से निम्न है, अतः यह परियोजना स्वीकार्य है।*
पात्र पूंजी निवेश*	**119.49**	
**समस्त आंकड़े संवितरण के समय भौतिक सत्यापन के अधीन हैं*		

v. डीआईसी द्वारा यह सत्यापित किया है कि आवेदक द्वारा ₹134.96 करोड़ के प्रस्तावित विस्तार हेतु कुछ संयंत्र एवं मशीनरी का क्रय किया गया है, जिसका क्रियान्वयन खसरा संख्या 861, 864 तथा 891 में उनकी विद्यमान इकाई से सन्निकट भूमि पर किया जा रहा है।

2 - सप्तम एमडीएफ (सप्तम डेकोर प्राइवेट लिमिटेड की एक इकाई)

i. सप्तम एमडीएफ (सप्तम डेकोर प्राइवेट लिमिटेड की एक इकाई) द्वारा उत्तर प्रदेश के **मुजफ्फरनगर (पश्चिमांचल)** में मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड के विनिर्माण हेतु प्रस्तावित नई सुविधा के संबंध में'नेट एसजीएसटी विकल्प' के लिए लेटर ऑफ कम्फर्ट की स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है, जिसमें ₹146.27 करोड़ का प्रस्तावित निवेश सम्मिलित है।

ii.आवेदक द्वारा निवेश की आरंभिक तिथि03/11/2023 सूचित की गई है एवं दिनांक 01/04/2025 को वाणिज्यिक उत्पादन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

iii. आवेदक इकाई के प्रस्तावित निवेश की गणना निम्नवत है-

मद	**राशि (₹ करोड़ में)**	**टिप्पणी**
प्रस्तावित निवेश	**146.27**	प्रारूप-2 के अनुसार
घटाया: *आईआईईपीपी-22 के प्रस्तर12.1.6 तथा12.1.7 के अंतर्गत अस्वीकार्य मद*	18.76	निर्माण के समय ब्याज: ₹3.60 करोड़ निर्माण के समयकार्यशील पूंजी तथा ब्याज: ₹12.44 करोड़ स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क: ₹0.59 करोड़ अन्य ₹2.13
कुल पूंजी निवेश*	**127.51**	

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

घटाया: समायोजित की जाने वाली अस्वीकार्य भूमि तथा भवन लागत *(प्रस्तर 12.1.6 के अंतर्गत)*	-	*प्रारूप 2 के अनुसार भूमि लागत₹9.50 करोड़ है।* *प्रारूप 2 के अनुसार भवन लागत ₹17.33 करोड़ है।* *भूमि एवं भवन की कुल लागत ₹26.83 करोड़ है, जो कुल पूंजी निवेश का ~20.60% है*
पूंजी निवेश*	**127.51**	
***घटाया**: प्रभावी तिथि से पूर्व किया गया निवेश (12.1.10 के अंतर्गत)*	00.00	*00.00*
पात्र पूंजी निवेश*	**127.51**	
**समस्त आंकड़े संवितरण के समय भौतिक सत्यापन के अधीन हैं*		

iv.नेट एसजीएसटी प्रतिपूर्ति हेतु वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या GST Audit/2023-24/212/State Tax दिनांक 25 जुलाई, 2023 द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तें तथा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के अंतर्गत नेट एसजीएसटी प्रतिपूर्ति से संबंधित जीएसटी मानक प्रचालन प्रक्रिया, पत्र संख्या64/2024/2545/77-6-2024-6099/323/2022Part-3/1666695, दिनांक 22.11.2024 के माध्यम से निर्गत निर्देश, पूर्ण रूप से लागू होंगे।

v.आवेदक द्वारा वन विभाग से एमडीएफ तथा पार्टिकल बोर्ड हेतु पंजीकरण प्राप्त किया गया है, जिसकी पंजीकरण संख्या UPWBIRMPMU/004/2023 है।

vi.डीआईसी मुजफ्फरनगर द्वारा पत्र संख्या 1397, दिनांक 19 दिसंबर, 2024 के माध्यम से प्रस्तुत टिप्पणियों पर भी विचार किया गया, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि आवेदन के अनुसार दी गई भूमि पर मशीनरी स्थापित की गई है एवं आवेदक को दिनांक **29** नवंबर, **2024** को एक नया जीएसटीआईएन आवंटित किया गया था।

3- माइक्रोमैटिक ग्राइंडिंग टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड

i. माइक्रोमैटिक ग्राइंडिंग टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ₹131.45 करोड़ के प्रस्तावित निवेश के साथ उत्तर प्रदेश के **अमरोहा (पश्चिमांचल)** में रक्षा एवं एयरोस्पेस उद्योग हेतु उचित कॉम्पोनेंट्स तथा असेंबली के विनिर्माण के संबंध में अपनी प्रस्तावित नई सुविधा हेतु'पूंजी सब्सिडी विकल्प' के लिए लेटर ऑफ कम्फर्ट की स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

ii. आवेदक द्वारा निवेश की आरंभिक तिथि 12.02.2024 सूचित की गई है एवं इसका निवेश तीन चरणों में किया जाएगा। आवेदक द्वारा प्रथम चरण का वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक 31.01.2025 को आरंभ कर दिया गया है, दिनांक 31.01.2025 का कर चालान (Tax Invoice) साझा किया है एवं दूसरे तथा तीसरे चरण का आरंभ

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्रमशः दिनांक 28.02.2026 तथा 31.03.2027 तक करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

iii. आवेदक द्वारा भूमि आवंटन तथा स्टाम्प ड्यूटी छूट हेतु आवेदन किया गया है।यह भी सूचित किया गया कि भवन पहले ही विक्रेता से क्रय कर लिया गया है तथा उसका नवीनीकरण किया जा चुका है, जो वर्तमान में संचालित है। इसके अतिरिक्त, वाणिज्यिक उत्पादन के आरंभ की पुष्टि दिनांक 31-01-2025 को की गई है।

iv. आवेदक इकाई के प्रस्तावित निवेश की गणना निम्नवत है-

मद	राशि (₹ करोड़ में)	टिप्पणी
प्रस्तावित निवेश	**131.45**	प्रारूप-2 के अनुसार
घटाया: आईआईईपीपी-2022 के प्रस्तर 12.1.6 तथा 12.1.7 के अंतर्गत अस्वीकार्य मद	21.92	स्टाम्प ड्यूटी तथा पंजीकरण शुल्क: ₹2.51 करोड़ प्रारंभिक तथा पूर्व-संचालन व्यय: ₹4.7 करोड़ आकस्मिक व्यय: ₹10 करोड़ पुराने भवन: ₹4.71 करोड़
कुल पूंजी निवेश*	**109.53**	
घटाया: समायोजित की जाने वाली अस्वीकार्य भूमि तथा भवन लागत (प्रस्तर12.1.6 के अंतर्गत)	3.00	प्रारूप 2 के अनुसार भूमि की लागत ₹19.1 करोड़ तथा भवन की लागत ₹16.7 करोड़ है। भूमि एवं भवन का योग कुल पूंजी निवेश का ~48% है। भूमि एवं भवन की सीमा कुल पूंजी निवेश का 30% होगी
पूंजी निवेश*	**106.53**	
घटाया: प्रभावी तिथि से पूर्व किया गया निवेश (12.1.10 के अंतर्गत)	00.00	*दिनांक 04.11.2022 से पूर्व निवेश की गई कुल राशि शून्य है*
पात्र पूंजी निवेश*	**106.53**	
**समस्त आंकड़े संवितरण के समय भौतिक सत्यापन के अधीन हैं*		

4- रसिक रिफ्रेशमेंट प्राइवेट लिमिटेड

i. रसिक रिफ्रेशमेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ₹61.37 करोड़ के प्रस्तावित निवेश के साथ उत्तर प्रदेश के **अयोध्या (पूर्वांचल)** में प्रतिदिन 14.16 लाख बोतल की क्षमता के साथ कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक तथा अन्य पेय पदार्थ के उत्पादन हेतु प्रस्तावित नई सुविधा हेतु' नेट एसजीएसटी विकल्प' के संबंध में लेटर ऑफ कम्फर्ट की स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

ii. आवेदक द्वारा निवेश की आरंभिक तिथि 18.01.2023 सूचित की गई है एवं आवेदक ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कि निवेश दो चरणों में किया जाएगा तथा दिनांक 15.10.2024 व 15.10.2026 क्रमशः पहले तथा दूसरे चरण के सापेक्ष वाणिज्यिक उत्पादन की तिथियां हैं।यद्यपि, इकाई द्वारा अपने पहले चरण हेतु

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.gov.in

दिनांक 08.10.2024 तक वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ कर दिया गया है। दूसरे चरण का निवेश पूरा करने पर आवेदक 'वृहद्' श्रेणी के लिए पात्र निवेश सीमा प्राप्त कर लेगा।

iii. आवेदक इकाई के प्रस्तावित निवेश की गणना निम्नवत है-

मद	**राशि (₹ करोड़ में)**	**टिप्पणी**
प्रस्तावित निवेश	**61.37**	प्रारूप-2 के अनुसार
घटाया: आईआईईपीपी-2022 के प्रस्तर 12.1.6 तथा 12.1.7 के अंतर्गत अस्वीकार्य मद	0.32	स्टाम्प ड्यूटी तथा पंजीकरण शुल्क: ₹0.32 करोड़
कुल पूंजी निवेश*	**61.05**	
घटाया: समायोजित की जाने वाली अस्वीकार्य भूमि तथा भवन लागत (प्रस्तर 12.1.6 के अंतर्गत)	-	*सीए प्रमाणित प्रारूप 2 के अनुसार भूमि की लागत ₹4.0 करोड़ है।सीए प्रमाणित प्रारूप 2 के अनुसार भवन की लागत ₹ 13.2 करोड़ है।भूमि एवं भवन की कुल लागत ₹7.2 करोड़* है, जो कुल पूंजी निवेश का ~28.17% है।*
पूंजी निवेश*	**61.05**	
कटौती: प्रभावी तिथि से पूर्व किया गया निवेश (12.1.10 के अंतर्गत)	-	*दिनांक 04.11.2022 से पूर्व निवेश की गई कुल राशि शून्य है*
पात्र पूंजी निवेश*	**61.05**	
**समस्त आंकड़े संवितरण के समय भौतिक सत्यापन के अधीन हैं*		

iv. ₹5.85 करोड़ की 'अवस्थापना विकास लागत' का विवरण अपेक्षित किया गया है, जिसे स्वीकार्य पूंजी निवेश में सम्मिलित किया गया है एवं जिसे नोडल एजेंसी द्वारा निम्नलिखित स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया गया है:

कम्पाउंड की दीवारें एवं गेट - ₹3.00 करोड़

सिक्योरिटी केबिन - ₹0.15 करोड़

आंतरिक मार्ग - ₹0.95 करोड़

बोरवेल - ₹0.25 करोड़

वॉटर टैंक - ₹0.9 करोड़

अन्य संबंधित निर्माण - ₹0.6 करोड़

v. नेट एसजीएसटी प्रतिपूर्ति हेतु वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या GST Audit/2023-24/212/State Tax दिनांक 25 जुलाई, 2023 द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तें तथा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के अंतर्गत नेट एसजीएसटी प्रतिपूर्ति से संबंधित जीएसटी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

मानक प्रचालन प्रक्रिया, पत्र संख्या 64/2024/2545/77-6-2024-6099/323/2022Part-3/ 1666695, दिनांक 22.11.2024 के माध्यम से निर्गत निर्देश, पूर्ण रूप से लागू होंगे।

vi. डीआईसी अयोध्या के दिनांक 06-12-2024 के पत्र के माध्यम से प्राप्त टिप्पणी में यह सूचित किया गया है कि इकाई द्वारा दिनांक 08-10-2024 तक अपने पहले चरण हेतु वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ कर दिया गया है एवं 08-10-2024 का कर चालान (Tax Invoice) साझा किया गया है।

3- अत: उपर्युक्तानुसार वर्णित तथ्यों, उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 एवं तदनुक्रम में निर्गत शासनादेश संख्या-21/2023/1307/77-6-2023-2(एम)/2023 दिनांक 14.04.2023 तथा पत्र संख्या-462/77-6-2025/6099/228/2023/1762681 दिनांक 07.03.2025 द्वारा निर्गत इम्पावर्ड कमेटी के कार्यवृत्त में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन एतद्द्वारा श्री राज्यपाल उक्त 04 औद्योगिक इकाईयों को लेटर ऑफ कम्फर्ट निर्गत किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

भवदीय,

आलोक कुमार

प्रमुख सचिव।

<u>संख्या-37/2025/785(1)/77-6-25-6099/323/2022 पार्ट-11/1666726 तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निजी सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/वित्त, न्याय, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, नियोजन, एमएसएमई, स्टाम्प एवं निबन्धन, राज्यकर विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. निजी सचिव, आयुक्त एवं सचिव, अध्यक्ष, उ0प्र0 राजस्व परिषद, लखनऊ।
4. निजी सचिव, सचिव/विशेष सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा/यूपीडा/नोएडा/ग्रेटर नोएडा/यीडा/गीडा।
6. आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
7. प्रबंध निदेशक, पिकप।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

शैलेन्द्र कुमार

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।